# आखातीज पर तेज धूप में भी लोकगीतों की गूंज पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया



बीकानेर में अक्षय तृतीया पर छतों पर डीजे लगाकर लोकगीतों का आनंद लेते हुए धूप में पतंगबाजी का आनंद लिया।

- लोगों ने परंपरागत व्यंजन इमलाणी खीचड़ा और सांगरी का भोजन बनाया
- साथ ही कोरी मटकी में जल भरकर पूजा-अर्चना की गई
- आखाबीज पर बीकानेर के हर घर में नई मटकी रखी जाती है

**बीकानेर, (कासं)।** बुधवार को अक्षय तृतीया (आखातीज) पर आसमान पूरी तरह पतंगों से अटा रहा। सुबह सूर्योदय के साथ ही लोग छतों पर चढ़ गए और पतंगों को आसमान की ओर चढ़ा दिया। भले ही नौ बजे तक सूर्यदेव ने अपने तीखे तेवर दिखा दिए लेकिन आखातीज पर पतंगबाजी के जोश के आगे ये धूप भी ज्यादा गर्म नहीं लगीं।

सुरक्षा इंतजामों के साथ लोग जमकर पतंग उड़ा रहे हैं। खासकर शहर के अंदरूनी क्षेत्र में पूरी तरह उत्सव का माहौल रहा। बीकानेर स्थापना दिवस के आयोजन अक्षय द्वितीया पर होते हैं लेकिन पतंगबाजी अक्षय तृतीया पर ही परवान पर चढ़ती है। सुबह से ही पतंगों के साथ बच्चे और युवा छतों पर चढ़ गए। शहर के अंदरूनी क्षेत्र में पतंगबाजी का सबसे ज्यादा उत्साह देखा गया। कीकाणी व्यासों का चौक, लालाणी व्यासों का चौक, दम्माणी चौक, मोहता चौक, हर्षों का चौक, मुंधड़ा चौक, बड़ा बाजार, लक्ष्मीनाथ मंदिर, नत्थूसर गेट, जस्सूसर गेट पारीक चौक सहित अनेक क्षेत्रों में सुबह से लोग पतंग उड़ा रहे थे। बड़ी संख्या में बच्चे गलियों में पतंग लूटते भी दिखे कटी पतंग को लूटने में घर की छतों पर खड़ी महिलाएं भी पीछे नहीं है।

पतंगबाजी का ये दौर शाम सात बजे तक अनवरत चलता रहा। इसमें महिलाएं और युवतियां भी पीछे नहीं है। बड़ी संख्या में महिलाएं ही छत पर नजर आई। घरों की छत पर आज लोग टैंट लगाकर स्पीकर लगाकर पतंगबाजी कर रहे थे। कई स्थानीय कलाकारों के पतंगबाजी को लेकर स्थानीय गीत भी सुनाई दे रहे हैं।

बीकानेरी अंदाज में ही लिखे इन गीतों को खूब सराहा जा रहा है। बीकानेर के नवदीप बीकानेरी, संजय पुरोहित, योगेश श्रीमाली के गीत जगह-जगह सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीकानेर के पीआरओ हरिशंकर आचार्य लिखित गीत 'कालो किन्ने रो..' भी इस बार जमकर सुना जा रहा है। इन गीतों को लाखों बार इन चार-पांच दिनों में ही लोग सुन चुके हैं। यूट्यूब पर ये गीत बीकानेर में टॉप ट्रेंड पर है।

हर बार की तरह इस बार भी आखातीज पर बीकानेर के घरों में खीचड़ा बनेगा। एक दिन गेहूं कूटकर खीचड़ा बनाया जाता है तो एक दिन बाजरा कूटकर उसका खीचड़ा बनाया जाता है। दरअसल ये खीचड़ा गर्मी से राहत देने वाला होता है। इसके साथ ही इमलाणी बनाई जाती है, जो कोल्ड ड्रिंक के रूप में काम आती है। इमली के पानी के साथ काली मिर्च, इलायची, काला नमक, शक्कर या गुड़ मिलाया जाता है। ये भी लू से बचाने में सहायक साबित होता है। आखाबीज पर बीकानेर के हर घर में नई मटकी रखी जाती है। इसके पीछे बड़ा कारण है शुद्ध और ठंडे पानी का सेवन। मटकी का पानी न तो ज्यादा ठंडा होता है और न ही गर्म। इस पानी से गले को भी कोई नुकसान नहीं होता। अलबत्ता ये पानी फ्रीज के पानी से ज्यादा शीतल होता है। घर के पुरुष सदस्यों की संख्या जितनी छोटी-छोटी मटकियां भी पूजा में रखी जाती है।

**नोखा।** बुधवार को नोखा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय तृतीया का पर्व उत्साह से मनाया गया। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने पतंगबाजी का आनंद लिया। सुबह से ही महिलाएं, बच्चे, युवा और पुरूष पतंग और लटाई लेकर छतों पर पहुंच गए। लोगों ने डीजे सिस्टम लगाकर मनोरंजन किया। इस बार पतंगबाजी के साथ आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया। कई लोगों ने पतंगबाजी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। त्योहार के मौके पर घरों में धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। लोगों ने परंपरागत व्यंजन इमलाणी खीचड़ा और सांगरी का भोजन बनाया। साथ ही कोरी मटकी में जल भरकर पूजा-अर्चना की गई।

**पतंग से दिए संदेश :** हिमालय परिवार बीकानेर के सदस्यों ने पिछले तीन दिन से पतंग के माध्यम से पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण संरक्षण, पॉलिथीन व चाउनीज मांझे का बहिष्कार, पक्षियों के लिये पालसिये की अपील व स्लोगन लिखे पतंगों का वितरण किया और पतंग के माध्यम से संदेश दिये। कार्यक्रम में प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. सुषमा बिस्सा, अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, मनोहर वर्मा, विजय मारू, प्रभात भारद्वाज, भुवनेश यादव, प्रेमलता शर्मा मौजूद थे।

## आज हुई 1500 शादियां

**बीकानेर, (कासं)।** अक्षय तृतीया के दिन एक शहर में बड़ी संख्या में नव गृह प्रवेश के आयोजन होंगे। अबूझ मुहूर्त होने के कारण बीकानेर संभाग में 1500 से अधिक शादियां भी होंगी।

इस बार अक्षय तृतीया पर कई विशेष योग भी रहेंगे जो इस दिन को और अधिक खास बनायेंगे। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने के लिए पंचांग या मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, हवन, स्नान और पूजन कभी नष्ट नहीं होता है और इसका पुण्य जीवनभर बना रहता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इसके करने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।

इस दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ें अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाला सौभाग्य लाती हैं। ज्योतिर्विद पंडित व्यास बताते हैं कि इस बार अक्षय तृतीया का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही गजकेसरी और मालव्य योग इस दिन को और खास बनायेंगे। राजस्थान टैंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रासबिहारी शर्मा के अनुसार अक्षय तृतीया के एक ही दिन में जहां राज्य भर में 30 हजार से अधिक शादियां होंगी। वहीं बीकानेर 1500 से अधिक विवाह होंगे। मन्नासा के अनुसार अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होने के कारण विवाह करना बहुत शुभ माना जाता है।

## अश्व प्रजनन प्रयोगशाला भवन की नींव लगाई

**बीकानेर, (कासं)।** राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र बीकानेर पर आज शुभ मुहूर्त में अश्व प्रजनन प्रयोगशाला भवन की आधारशिला प्रभागाध्यक्ष डॉ एस. सी. मेहता ने रखी। इससे पूर्व उन्होंने प्रजनन इकाई प्रमुख डॉ तिरुमाला राव ताल्लरी एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुभाष के साथ विधिपूर्वक भूमि पूजन किया। इस अवसर पर डॉ मेहता ने कहा कि अश्व अनुसंधान केन्द्र बीकानेर देश का एकमात्र ऐसा केन्द्र है जिसने स्वदेशी अश्वों में कृत्रिम गर्भाधान एवं भ्रूण प्रत्यर्पण तकनीक को मानकीकृत किया एवं पूरे देश में तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से फैलाया। इस कार्य में डॉ तिरूमाला राव ताल्लरी का योगदान प्रशंसनीय है एवं इन्होंने ही स्वदेशी अश्व नस्ल के भ्रूण विट्रीफाई करने में सफलता प्राप्त की है। उक्त प्रयोगशाला भवन को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा एवं बायो सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार उच्च गुणवत्ता के वीर्य का संरक्षण किया जायेगा जिससे अश्व संरक्षण एवं संवर्धन में मदद मिलेगी। डॉ मेहता ने बताया कि इस भवन पर वर्तमान में 55 लाख रूपये खर्च किए जायेंगे एवं अश्व संग्रहालय को और परिष्कृत करने के लिए 20 लाख रूपए खर्च किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अश्व प्रजनन इकाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ तिरुमाला राव ताल्लरी ने कहा कि इस भवन में देश में पाई जाने वाली समस्त अश्व प्रजातियों के लिए नेशनल सीमन बैंक बनाया जायेगा जिससे उनकी गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।

## पांच घायल

**नोखा, (कासं)।** नोखा के हिंयादेसर-देसलसर मार्ग पर शिवजी मंदिर के पास सड़क दुर्घटना 5 व्यक्ति घायल हो गए। दुर्घटना में एक बोलेरो पिकअप, जिसके आगे लोहे का गाटर लगा था और 1000 ईंटें लदी थी ने रांग साइड से आकर दूसरी बोलेरो को टक्कर मार दी। बोलेरो में सवार ओमप्रकाश, भंवरलाल, सुखी देवी, सूवटी देवी और रेवंती घायल हो गए।


**सार्वजनिक सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय देवस्थान विभाग के पत्र क्रमांक एफ / ट्रस्ट/देव / 2025/335 दिनांक 11.03.2025 के अनुसरण में सरावगी चेरिटेबल ट्रस्ट श्रीगंगानगर की चक 5 ई छोटी, मु.न. 2, किला न. 14,17 व 24 श्रीगंगानगर की कुल रकबा .733 है भूमि की खुली निलामी मौके पर ही दिनांक 09.05.2025 वार शुक्रवार को सुबह 11 बजे की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति डी.एल.सी की 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर इस निलामी में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 0154-2494429 पर सम्पर्क कर सकते है।


## जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल की सजा

**बीकानेर,(कासं)।** सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसे 8000 रूपए अर्थदंड भी भुगतना होगा।

परिवादी श्रवणराम की ओर से 17 अप्रैल, 18 को पर्चा बयान में लूणकरनसर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि भादवा गांव निवासी चेतनराम उसका चचेरा भाई है। उसकी सरदारशहर के कंवलासर गांव में शादी हुई है। चेतनराम और उसकी पत्नी में आपस में अनबन रहती है। चार-पांच दिन पहले चेतनराम की पत्नी अपने पीहर चली गई। चेतनराम ने आरोप लगाया कि श्रवणराम ने उसे पीहर भेज दिया। इससे नाराज चेतनराम 16 अप्रैल, 18 की रात को घर में घुस गया और लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। घायल श्रवणराम को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और चेतनराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चेतनराम को दोषी माना और सात साल के कठोर कारावास व 8000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह राशि जमा नहीं कराने पर 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्र. :- नियमन/2025/ **आपत्ति सूचना** दिनांक : ....4.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/52 के किला नं. 23 में भूखण्ड माप 15'-0'' गुणा 60'-0'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्रीमती गीतांजली पत्नी श्री सुमित अरोड़ा निवासी मकान नं. 109, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती गीतांजली पत्नी श्री सुमित अरोड़ा निवासी मकान नं. 109, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/52 के किला नं. 23 में भूखण्डमाप 15'-0'' गुणा 60'-0'' फीट का नियमन पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

Rajkaj Ref. No. 14624571 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर



**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्र. :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 29.4.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 17 किला नं. 17 में भूखण्ड संख्या 53 माप 283.33 वर्गगज का पटटा संख्या 1052 दिनांक 01.11.1990 को श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र उपाध्याय के नाम से जारी किया हुआ है। जो कि नामान्तरण उपरान्त श्री जसवीर कौर चौहान पत्नी श्री दर्शन सिंह चौहान के नाम से दर्ज है। श्री अंकुर सेतिया पुत्र श्री शिव कुमार सेतिया निवासी 81 एन ब्लॉक, नजदीक जैन पेट्रोल पम्प, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखण्ड को दिनांक 10.02.2025 के द्वारा क्रय कर फ्री होल्ड पटटा जारी करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है। के द्वारा क्रय कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटे एवं पंजीकृत बैयनामों का समर्पण कर भूखण्ड की लीज हस्तान्तरित करवाते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

Rajkaj Ref. No. 14937030 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर



प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़

क्रमांक : 180 दिनांक : 30/04/2025

**लोक सूचना**

श्री राजीव सियाग पुत्र श्री राकेश कुमार सियाग मुख्त्यारे खास श्री नरेन्द्र मूलचन्द धनवानी पुत्र श्री मूलचंद धनवानी व श्रीमती राखी पुत्री श्री नरेन्द्र मूलचंद निवासी वार्ड नंबर 21 असुदा कुटीर माउण्ट मेरी रोड़ बान्द्रा वेस्ट मुम्बई कि निचे अल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

| जिले सहित तहसील का नाम | ग्राम का नाम | भूमि स्थान | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| तहसील सूरतगढ़ | ग्राम मानकसर | खसरा संख्या 272/234 | 2.922 हैक्टयर में से 1.9890 यानि 19890 वर्गमीटर |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30.04.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़



**राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)**

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 29.4.2025

श्रीमती रितु पत्नी श्री मनीष कुमार एवं श्री मनीष कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द निवासी म.नं. 42, गली नं. 2, हरमिलापी कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 28.11.2023 के द्वारा क्रय कर व्यावसायिक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

| जिले सहित नगर का नाम | पट्टे का विवरण | भूमि का विवरण | आवेदित भूमि का क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|
| श्रीगंगानगर | पटटा सं. 533 दिनांक 16.5.1989 को श्री जीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह एवं जंगीर कोर पत्नी श्री जीत सिंह के नाम जारी किया हुआ है एवं पटटा सं. 546 दिनांक 26.5.1989 को श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द सोनी के नाम से जारी है। | क्रमशः चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 6,15 में माप 110 वर्ग गज, श्रीगंगानगर एवं चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 15 में माप 50 वर्गगज, श्रीगंगानगर | पुनर्गठित माप 32 इंटू 45 फीट |

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 660 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तद्नुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी। Rajkaj Ref. No. 14958930 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर


## पानी टैंकर के दाम तय होंगे, ज्यादा वसूली पर कार्रवाई का हक तय नहीं

- दरें तय करने की कसरत की पूरी कर ली, कलेक्टर की स्वीकृति लेना शेष है

**बीकानेर, (कासं)।** शहर भर में मनमाने दाम वसूल रहे पानी के टैंकरों पर अब प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है। बीते सालों की तरह इस साल भी प्राइवेट टैंकरों के दरों को नियंत्रित करने के लिए फिर से प्रस्ताव तो बनाए है मगर उन प्रस्तावों में ज्यादा दाम वसूलने वाले टैंकरों पर कार्रवाई का हक किसी के पास नहीं है। जलदाय विभाग ये दरें तय कर आरटीओ को भेज देगा। लोगों को पता ही नहीं है। वे तो पीएचईडी को ही कॉल करेंगे।

जलदाय विभाग ने जो प्रस्ताव बनाए हैं उस हिसाब से 99 रूपए प्रति हजार लीटर की दरें तय की है। यानी 2000 लीटर वाले टैंकर की दर 198 रूपए है। 400 लीटर की 400, 6000 वाले की 600 और 10 हजार लीटर वाले टैंकर की कीमत 1000 रूपए। ये दरें टैंकर रवाना होने वाले स्थान से 5 किमी परिधि के भीतर की हैं। पांच किमी से ज्यादा दूरी होने पर 20 रूपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त चार्ज टैंकर वाला ले सकता है मगर बीकानेर में एक-एक किलोमीटर के 200 रूपए तक टैंकर वसूलने लगे। हैरानी की बात ये है कि ये वही शहर है जिसकी पहचान फ्री प्याऊ की है।

लोगों की प्यास बुझाने के लिए लोग फिल्टर पानी के कैम्पर नियमित रखवाते हैं। इससे बीकानेर की साख प्रदेश और देश में बढ़ी है मगर अब उसी शहर का दूसरा रूप ये सामने लगा कि नहरबंदी में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले मनमाने दाम टैंकर के वसूल रहे हैं। एक ही शहर में लोग फिल्टर पानी फ्री में पिला रहे और उसी शहर में रॉ वाटर के मनमाने दाम वसूल रहे। शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के टैंकरों की भरमार है। यही टैंकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।

टैंकर संचालकों की मनमानी तौर तरीकों की शिकायत प्रशासन तक पहुंचने लगी है। इसीलिए अब बिना पंजीकरण कराए कोई भी टैंकर शहर में पानी की सप्लाई नहीं कर सके, इसकी तैयारी चल रही है। प्रशासन एक अधिकारियों की टीम भी गठित कर रहा है जो शहर भर में घूम रहे टैंकरों की चैकिंग करेगा। शहर में इस वक्त करीब 1000 टैंकर पानी की सप्लाई में जुटे हैं। इसमें 90 प्रतिशत प्राइवेट हैं। अधीक्षण अभियंता समेत सभी अधिकारियों ने दरें तय करने की कसरत की पूरी कर ली। अब कलेक्टर की स्वीकृति लेना शेष है।

## ग्राम पंचायत क्षेत्र बदलने पर जताई आपत्ति

- मोखा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर उनकी ग्राम पंचायत का क्षेत्र बदलने का विरोध किया

**बीकानेर,(कासं)।** ग्रामीण कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मोखा गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर से मिलकर उनकी ग्राम पंचायत का क्षेत्र बदलने का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि मोखा गांव भागौलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा गांव है। ग्रामीण विकास संघर्ष समिति बीकानेर के बैनर तले ग्रामीणों ने इसका विरोध किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के कारण हाडलां रावलोतान को ग्राम पंचायत बनाकर उसमें मोखा खालसा, मोखा चारणान और भायला गांव को शामिल किया जा रहा है। यह ग्रामीणों को स्वीकार्य नहीं है। उप सरपंच रामरख सारण ने बताया कि हाड़ला रावलोतान वर्तमान ग्राम पंचायत से मात्र एक किमी की दूरी पर है। ग्राम पंचायत भवन से मात्र 500 मीटर दूर। ऐसे में उसे ग्राम पंचायत बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। मोखा के ग्रामीणों को जंप करवाकर वर्तमान ग्राम पंचायत से दूसरी नवगठित ग्राम पंचायत में डालना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने मोखा गांव को ग्राम पंचायत बनाने अथवा पंचायत क्षेत्र नहीं बदलने की मांग की है। ऐसा करने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

ज्ञापन देने वालों में संतूदास रामावत, भंवर लाल सियाग, भंवर सुथार, आसकरण पालीवाल, सोहन लाल मेघवाल, दीनदयाल रामावत आदि शामिल थे।

## आईसीयू को छोड़ वार्ड में एसी की सुविधा नहीं

- पीबीएम हॉस्पिटल की मेडिसिन केजुअल्टी में खराब पड़े हैं एसी

**बीकानेर, (कासं)।** सूरज की तल्खी देख सरकार और प्रशासन अलर्ट हो गए। हीटवेव की चेतावनी के साथ ही सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन को लेकर बैठकों के दौर चल पड़े हैं। कागजी दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन पीबीएम हॉस्पिटल की मेडिसिन केजुअल्टी में ऐसी ही खराब पड़े हैं। खिड़की से आ रही गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच मरीजों का इलाज हो रहा है। यह वह स्थान है जहां तापघात के मरीजों को सबसे पहले लाया जायेगा।

संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में हीटवेव की चपेट में आए मरीजों का इलाज करने के लिए सभी तरह की दवाओं की आपूर्ति की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन ऐसे मरीजों को ठंडे स्थान पर रखने को लेकर कोई प्रयास नहीं हो रहे। तीन हजार से अधिक बैड के इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के चैम्बर, ऑफिस, आईसीयू को छोड़ दें तो किसी भी वार्ड में एसी की सुविधा नहीं है। पंखों से काम चलाना पड़ता है। मरीज को गर्मी लगे तो कूलर भी घर से लाने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने कुछ वार्डों में कूलर लगाए, लेकिन उनमें भी ज्यादातर या तो बंद हैं या बिना पानी के गर्म हवा दे रहे हैं।

## गजसुखदेसर में किसान की ढाणी में लगी आग

**नोखा, (कासं)।** नोखा उपखंड स्थित जसरासर तहसील के गांव गजसुखदेसर में एक किसान की ढाणी में आग लग गई। किसान हेतराम बिश्नोई की ढाणी गांव की पश्चिमी रोही के खेत के खसरा नंबर 15 में स्थित है।

देर रात को जब परिवार के सदस्य एक शादी समारोह में गए थे, तब अचानक ढाणी में आग लग गई। आसपास के किसानों ने पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक तीन कच्चे मकान, 100 क्विंटल अनाज, चक्की मशीन, कृषि उपकरण और कीमती घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर सरपंच नवलसिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

## मांझे के शिकार बीस से ज्यादा घायल ट्रोमा सेंटर पहुंचे

- आखातीज पर मांझे से सात जनों को गले में गंभीर कट लगा, अस्पताल में भर्ती

**बीकानेर, (कासं)।** चाइनीज मांझे से गला कटने के कारण बीस से ज्यादा लोग बुधवार को पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचे। इनमें सात को गंभीर कट लगा है, जिन्हें भर्ती कर लिया गया है। वहीं पंद्रह से ज्यादा घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

शहर भर में जगह-जगह चाइनीज मांझे से गर्दन सहित शरीर के कई हिस्सों में कट लग रहा है। अकेले पीबीएम अस्पताल में बीस से ज्यादा लोग दोपहर तक पहुंच चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में भी पहुंचे हैं।

पीबीएम अस्पताल ट्रोमा सेंटर प्रभारी डॉ. कपिल ने बताया कि घायलों में ज्यादातर के गले में कट लगा है। सात रोगियों के गले में गंभीर कट है। जिसमें एक की हालत ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। घायलों में लालूराम निवासी बीछवाल और यूपी निवासी धीरज शामिल है। दोनों के गले में कट है। इसके अलावा 21 साल का राजाराम, बीस साल का सलमान, 25 साल का पवन और 23 साल का पुनीत भी शामिल है। पवन का गला कल्ला पेट्रोल पंप के पास से गुजरते हुए कटा है, जबकि दो अन्य का गला गोगागेट क्षेत्र में कटा।

पीबीएम अस्पताल में बुधवार को आखातीज के कारण ईएनटी के रेजिडेंट्स की ड्यूटी ट्रोमा सेंटर में लगी हुई है। जिन घायलों के गले कटे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ घायलों के तो गहरा कट होने के कारण तुरंत टांके लगाये गए हैं। अगर थोड़ा गहरा कट लग जाए तो घायल की मौत भी हो सकती है। गनीमत है कि अभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है लेकिन उनका इलाज अस्पताल ही चल रहा है।


**राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड**

(राजस्थान सरकार का उपक्रम) एसबीयू एण्ड पीसी-जिप्सम, 02, गाँधी नगर, स्कीम, बीकानेर- 334001
फोन नं. :- 151-2200171-75, फैक्स : 0151-2523519/2202842

दिनांक :- 30/04/2025

**निविदा सूचना**

| निविदा संख्या एवं दिनांक | कार्य का प्रकार |
|---|---|
| RSMM/GYP/Contract-01/ 2025-26 Dated 29.04.2025 UBN No. MML2526SSOB00009 | संस्थान की जिप्सम एवं सेलेनाइट खदानों के ड्रोन सर्वे का कार्य (निविदानुसार)। अनुबन्ध राशि रू.- 8.82 /- लाख, धरोहर राशि रू.- 17640 /-, निविदा शुल्क रू. 590 /- |

विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की वेबसइट www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in और अथवा प्रमुख एवं प्रभारी-जिप्सम, बीकानेर से सम्पर्क कर सकते है।

राज.संवाद/सी/25/1517 उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)



**बीकानेर नगर निगम**

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक :- निर्माण/2025-26/7284 दिनांक :- 28/04/2025

**ई - निविदा-सूचना सं0 15/2025-26**

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.sppp.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की कुल लागत 31.52 लाख

UBN No. : DLB2526WSOB03076

आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर

राज.संवाद/सी/25/1514


# मांझे से घायल पक्षियों के इलाज के लिए नि:शुल्क बाइक एम्बुलेंस सेवा




मांझे से घायल पक्षियों के त्वरित इलाज के लिए नि:शुल्क बाइक एम्बुलेंस सेवा को विधायक जेठानंद व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

- मूक पक्षियों की सेवा कार्य समिति द्वारा पहले से ही परमार्थ पक्षी घर संचालित किया जा रहा है

**बीकानेर, (कासं)।** नगर स्थापना दिवस के दौरान पतंगबाजी के दौरान चाइनीज और सामान्य मांझे से घायल होने वाले पक्षियों को समय पर इलाज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से परमार्थ सेवा समिति द्वारा पक्षियों के लिए पहली बाइक एम्बुलेंस सेवा बुधवार को शुरू की गई। बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास ने बजरंग कॉलोनी से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया।

विधायक व्यास ने इस अवसर पर कहा कि मूक पक्षियों की सेवा करना अनुकरणीय कार्य है। समिति द्वारा पहले से ही परमार्थ पक्षी घर संचालित किया जा रहा है। जहां दर्जनों घायल पक्षियों का इलाज किया जा रहा है। अब बाइक एम्बुलेंस से उन्हें तत्काल उपचार मिल सकेगा और उनकी जान बच सकेगी। उन्होंने कहा कि यह कार्य दूसरों के लिए प्रेरणादायी है और युवाओं का इससे जुड़ना अच्छे संकेत हैं। विधायक ने चाइनीज मांझे का पूर्णतया बहिष्कार करने का आव्हान किया और कहा कि इसके लिए प्रशासनिक आदेशों के साथ सामाजिक स्तर पर भी पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि परमार्थ सेवा समिति के पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने और पक्षियों के लिए स्थाई रेस्क्यू सेंटर खोले जाने के लिए प्रशासनिक और विधायक निधि के माध्यम से सहयोग में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।

जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक डॉ. हरिशंकर आचार्य ने कहा कि सेवा और परहित के भाव बीकानेर के जन-जन में है। हमारे शहर की नीव धर्म, कर्म और आध्यात्म पर टिकी है। यहां पीड़ित जीव मात्र की सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। समिति अध्यक्ष अविनाश व्यास 'श्रीधर' ने बताया कि मोबाइल एम्बुलेंस नियमित रूप से शहरी क्षेत्र में भ्रमण करेगी और घायल पक्षियों का मौके पर इलाज करेगी।

## हत्यारे को उम्रकैद की सजा

**बीकानेर, (कासं)।** अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 6 की अदालत ने तीन साल पहले होली पर रंग डालने से नाराज युवक ने चाकू मारकर दो लोगों की हत्या करने पर उम्रकैद और एक लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। चार अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है। 18 मार्च, 2022 को होली का त्योहार था। धुलंडी के दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगा रहे थे। परिवादी मुकेश लुहार, गिरधारीलाल, श्यामलाल सुन्दर विहार कॉलोनी गए। वहां मुकेश के मामा श्यामलाल और उनके दोस्त कानाराम नायक के साथ होली खेली। वहां से शोभासर चौराहा क्रॉस कर थोड़ा आगे गए तो बाइक पर सवार होकर आए दोनों युवकों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट करने लगे। उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और दूसरे ने चाकू निकालकर गिरधारी के पेट में घोंप दिया। श्यामलाल वहां से भागा तो पीछा कर पकड़ लिया और उसके पेट में भी चाकू मारा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।


**राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल**

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

RPCB/RO BIK/BKN/BM-775/204-208 Date: 25/04/2025

**पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना**

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित खनन परियोजना जय चन्द लाल डागा, एम.एल. नम्बर 88/2018, रेफरेन्स नम्बर 2018100001756, क्षेत्रफल 3.9787 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,67,300 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम-इन्दो का बाला तहसील- कोलायत, जिला- बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना (जय चन्द लाल डागा, एम.एल. नम्बर 88/2018, रेफरेन्स नम्बर 2018100001756, क्षेत्रफल 3.9787 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,67,300 टी.पी.ए. (रोम) मैसर्स विनायक माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 01/2023, क्षेत्रफल 4.9798 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,27,600 टी.पी.ए: (रोम) मैसर्स योगेन्द्र सिंह दहिया, एम.एल. नम्बर 25/2019, क्षेत्रफल 3.9875 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,60,564 टी.पी.ए: (रोम) मैसर्स श्रीमती शोभा चौधरी, एम.एल. नम्बर 05/2020, क्षेत्रफल 3.6616 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,39,307 टी.पी.ए: (रोम) मैसर्स श्री दया मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 36/2014, क्षेत्रफल 4.8641 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,68,750 टी.पी.ए: (रोम) मैसर्स श्री विपिन दहिया, एम.एल. नम्बर 17/2018, क्षेत्रफल 3.9780 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,32,630 टी.पी.ए. (रोम) कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 25.4497 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता- 19,96,151 टी.पी.ए. (रोम) में स्थित है में बॉल क्ले एवं सिलिका सैंड के खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि जय चन्द लाल डागा को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेनद किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- 1. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 2. जिला परिषद कार्यालय, बीकानरे। 3. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 4. उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, कोलायत, जिला-बीकानेर। 5. तहसील कार्यालय, कोलायत, बीकानेर। 6. पंचायत समिति- कोलायत, जिला- बीकानेर। 7. ग्राम पंचायत- चानी, तहसील-कोलायत जिला- बीकानेर। 8. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 9. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 10. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। 11. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवयु परिवर्तन मंत्रालय, ए-209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गाँधी रोड, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 02.06.2025 (सोमवार) को दोपहर 3.00 बजे ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील- कोलायत, जिला- बीकानेर में आयोजित की जायेगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचति किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखत/ मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/ सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियत्रंण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते है।

(राजस्थान मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी